

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

शुद्धि पत्र

पत्रांक— ह0क0सह0—(यो0/अनुदानित दर पर लूम)—02/2017/..... पटना, दिनांक—.....प्रेषक,
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

*अनौचारिक रूप
से परामर्शित

विषय— राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सतरंगी चादर बनाने के लिए 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख) रुपये मात्र की योजना की स्वीकृति, जिसमें राज्य सरकार का अनुदान राशि रू0 135.00 लाख (एक सौ पैंतीस लाख) की स्वीकृति तथा इसमें से रू0 125.00 लाख (एक सौ पच्चीस लाख) की विमुक्ति के संबंध में निर्गत राज्यादेश संख्या 3026 दिनांक 17.07.17 का अनुसूची— 'क' योजना क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश का शुद्धि पत्र पत्रांक 5357 दिनांक 29.11.18 के क्रम में संशोधित शुद्धि पत्र।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या 3026 दिनांक 17.07.17 से संबंधित शुद्धि पत्र का पत्रांक 5357 दिनांक 29.11.18 के क्रम में राज्यादेश की अनुसूची— 'क' में राज्य योजना के तहत 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) आपूर्ति हेतु योजना क्रियान्वयन का दिशा-निर्देश को इस प्रकार संशोधित किया जाता है—

"68 इंच फ्रेम लूम (टेक अप मोशन सहित) की अनुदानित राशि 90% की दर से कुल 27,000/- रुपये को दो किस्तों यथा प्रथम किस्त के रूप में 17,000/- रुपये एवं लूम अधिष्ठापन के बाद द्वितीय किस्त के रूप में 10,000/- रुपये सीधे लाभुक 500 चिन्हित बुनकरों को सीधे RTGS के माध्यम से बुनकरों के खाते में राशि राज्य संघ द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। जो लाभुक बुनकर प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के पश्चात् लूम का अधिष्ठापन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध राज्य संघ F.I.R (प्राथमिकी) दर्ज करेंगे।"

2. निर्गत राज्यादेश सं0 3026 दिनांक 17.07.17 से संबंधित दिशा-निर्देश अनुसूची 'क' को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

3. राज्यादेश में अन्य शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0—(यो0/अनुदानित दर पर लूम)—02/2017/..... पटना, दिनांक—.....
प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0-(यो0/अनुदानित दर पर लूम)-02/2017/ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि—वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0-(यो0/अनुदानित दर पर लूम)-02/2017/ पटना, दिनांक—
प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,
पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं
रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग
निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा- 1(स0), उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,
पटना/नालन्दा/नवादा/गया/भागलपुर/बाँका/सिवान/मधुबनी/रोहतास/औरंगाबाद/अरवल/
कैमूर/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर
सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग,
पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— ह0क0सह0-(यो0/अनुदानित दर पर लूम)-02/2017/ 462 पटना, दिनांक— 21.01.19
प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।